

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1790  
उत्तर देने की तारीख 11.02.2021

काष्ठशिल्प उद्योग को हानि

1790. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान सहारनपुर के विश्व प्रसिद्ध काष्ठशिल्प उद्योग को हुई भारी हानि का संज्ञान लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का सहारनपुर के काष्ठशिल्प उद्योग के लिए कोई राहत पैकेज जारी करने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री  
(श्री नितिन गडकरी)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अन्तर्गत देश भर में स्थापित इकाइयों सहित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) और खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा एमएसएमई पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन संचालित किया गया है।

क. कोविड-19 महामारी के दौरान एनएसआईसी स्कीमों के लाभार्थियों के द्वारा सामना की गई संचालन क्षमताओं और कठिनाइयों को समझने के लिए एनएसआईसी द्वारा आयोजित ऑनलाइन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- i. 91% एमएसएमई को क्रियाशील पाया गया।
  - ii. एमएसएमई द्वारा सामना की गई पांच सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को चलनिधि (55% इकाइयां), नए आदेश (17% इकाइयां), श्रम (9% इकाइयां), लॉजिस्टिक्स (12% इकाइयां) और कच्चे माल की उपलब्धता (8% इकाइयां) के रूप में चिह्नित किया गया है।
- ख. केवीआईसी द्वारा आयोजित अध्ययन के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:
- i. पीएमईजीपी स्कीम के 88% लाभार्थियों ने बताया कि कोविड-19 के कारण वे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए जबकि शेष 12% ने बताया कि वे कोविड-19 के कारण लाभान्वित हुए।
  - ii. प्रभावित 88% में से 57% ने बताया कि इस अवधि के दौरान उनकी इकाई बंद हो गई थी, जबकि 30% ने उत्पादन और राजस्व में कमी बताई।
  - iii. लाभान्वित 12% में से 65% ने बताया कि उनके व्यवसाय में वृद्धि हुई क्योंकि उनकी इकाइयां स्वास्थ्य और खुदरा क्षेत्र में थी और लगभग 25% ने बताया कि उनकी इकाइयां लाभान्वित हुई क्योंकि वे आवश्यक वस्तुओं अथवा सेवाओं से जुड़े थे।
  - iv. कर्मचारियों के वेतन नियमित भुगतान के प्रश्न पर, लगभग 46.60% उत्तरदाता ने बताया कि उन्होंने पूर्ण रूप से वेतन का भुगतान किया था और 42.54% ने आंशिक रूप से भुगतान किए जाने के बारे में बताया और 10.86% ने इस अवधि के दौरान वेतन भुगतान न किए जाने के बारे में बताया।
  - v. अधिकांश लाभार्थियों ने उनके उत्पादों की विपणन सहायता और ब्याज में छूट की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता व्यक्त की थी।

(ग) और (घ): सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान (एबीए) के अंतर्गत एमएसएमई के लिए 20 लाख करोड़ रु. के व्यापक पैकेज की घोषणा की है। एमएसएमई से संबंधित घोषणाएं जिनमें 'काठशिल्प उद्योग' भी कवर है, उक्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

- i. एमएसएमई के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन: सरकार ने दिनांक 23.05.2020 से 3,00,000 करोड़ रु. की सम्पार्श्विक मुक्त ऋण स्कीम प्रचालित की है जिससे 45 लाख एमएसएमई के लाभान्वित होने की संभावना है। दिनांक 25.01.2021 की स्थिति के अनुसार 2.39 लाख करोड़ रु. की राशि का ऋण स्वीकृत किया गया है।
- ii. संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रु.: 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार 27.27 करोड़ रु. की राशि की 249 गारंटियां अनुमोदित की गई हैं।
- iii. निधियों के कोष (एफओएफ) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी इंप्यूजन: सीसीईए ने निधियों के कोष स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- iv. एमएसएमई बकाया भुगतान का निपटान: सरकार ने घोषणा की है कि सीपीएसई और सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसएमई बकायों का निपटान 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। मई, 2020 से और 11.01.2021 तक, 33,323.92 करोड़ रु. के कुल बकायों में से एमएसएमई को 26,363.75 करोड़ रु. की लंबित राशि का भुगतान किया गया है।
- v. ऋण के मूलधन के घटकों और ब्याज पुनर्भुगतान पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा घोषित मोरेटोरियम के मद्देनजर खातों की स्थिति को दिनांक 31.08.2020 तक डाउनग्रेड नहीं किया गया।
- vi. आरबीआई ने राहत उपाय किए हैं और 28 मार्च, 2020 से सभी बैंकों के सीआरआर को 100 आधार अंकों से घटाकर निवल मांग और समय दायित्व का 3% कर दिया है जो बैंकिंग प्रणाली में 1,37,000 करोड़ रु. प्रवाहित करेगा।
- vii. 200 करोड़ रु. तक सरकारी प्रापण के लिए किसी वैश्विक निविदा की अनुमति नहीं है।
- viii. इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत 6 राज्यों के 116 जिलों में प्रवासी कामगारों सहित लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पहले की हैं। पीएमईजीपी के अंतर्गत, 31.01.2021 तक 6218 इकाइयों की स्थापना के लिए 216.45 करोड़ रु. राशि की मार्जिन मनी (सब्सिडी) संवितरित की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विकास आयुक्त-हस्तशिल्प कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में काठशिल्प के कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित किए हैं:

1. आठ सेमिनार /कार्यशालाएं।
2. काठ नक्काशी पर दो हस्तशिल्प तकनीकी प्रशिक्षण।
3. एक एकीकृत डिजाइन परियोजना और एक डिजाइन विकास कार्यशाला।